न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 442/2024

अनवान : –

1– छोटुराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– वादी

बनाम

1– रामकुमार पुत्र गणपत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– सन्तलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– रामप्रताप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– शिशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– मुखी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– चन्द्रवली पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– सावत्री पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

9– उप पंजीयक नोहर/फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 14/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 51/50 के कुल खसरे 30 की कुल 6.0720 है0 भूमि एवं खाता संख्या 52/51 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 51/50 के कुल खसरे 30 की कुल 6.0720 है0 भूमि एवं खाता संख्या 52/51 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि उक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अंनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 51/50 के कुल खसरे 30 की कुल 6.0720 है0 भूमि एवं खाता संख्या 52/51 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 51/50 के कुल खसरे 30 की कुल 6.0720 है0 भूमि एवं खाता संख्या 52/51 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि उक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 442/2024

अनवान : –

1– छोटुराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– वादी

बनाम

1– रामकुमार पुत्र गणपत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2– सन्तलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– रामप्रताप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4– शिशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5– मुखी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6– चन्द्रवली पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7– सावत्री पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
9– उप पंजीयक नोहर/फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 442 सन 2024 निर्णय दिनांक - 14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 51/50 के कुल खसरे 30 की कुल 6.0720 है0 भूमि एवं खाता संख्या 52/51 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि उक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर